Registration no: (21912482021831122195) Date: (03-08-2021) Valid till: (3-8-2024)

बिहार सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय |
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
केन्द्रीय मध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 0
शिक्षा केंद्र , 2 कम्यूनिटी सेंटर 0

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 03-08-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय J. N. PUBLIC SCHOOL, , BANGRA KALI STHAN, 841410 . कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 03-08-2021 से 3-8-2024 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीक ति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(I) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।

(II) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(III) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(IV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(VI) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा |

(VII) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

PRINCIPAL
J.N. PUBLIC SCHOOL
Affiliated to CBSE, Delhi
Aff. No.-331153, School No.-66937
Bangra Kali Sthan, Mashrak, Saran

Mukesh Kumar
MANAGER
J.N. PUBLIC SCHOOL
Affiliated to CBSE, Delhi
Aff. No.-331153, School No.-66937
Bangra Kali Sthan, Mashrak, Saran

(Viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

द्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्‌धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

(I) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 202.499

(II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 202.499

(III) खेल के मैदान क क्षेत्र :- CLASS ROOMS, ADMINISTRATIVE OFFICE, LIBRARAY, LAB., ACTIVITY & MUSICAL ROOM, PLAY GROUND, TOILETS, DRINKING WATER POINTS, ETC.

(IV) वर्ग कक्षों कीं कुल संख्या :- 20

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 2

(VI) बालक तथा बालिकाओं क़े लिये अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys :- 8 , Girls 5

(VII) पेयजल की सुविधा :- 08

(Viii) मध्याह भोजन क़े लिये रसोई घऱ :- 1

(IX) बाधारहित पहुँच,[ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/पुस्तकल्य पुस्तकालय :- GREEN BOARD, CHALK, CHART PAPERS, DIGITAL STUDY MATERIALS, GLOBE & MAP, COMPUTERS, RESOURCE BOOKS, STUDY TOOLS & KITS , CAROM BOARD, MATCH BOARD, CHESS, CRICKET KITS, GOLA, SHOT PUT, JUMBLING THROW, FOOTBALL, VOLLEYBALL, LUDO , (Y , 445 , NewsPaper MagaZine:- 7)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केलिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [219124820218311222195, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते

विश्वासभाजन 17/3/22
ह० /-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
सह-सचिव प्रस्वीक्रीत समिति
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

PRINCIPAL
J.N. PUBLIC SCHOOL
Affiliated to CBSE, Delhi
Aff. No.-331153, School No.-66937
Bangra Kali Sthan, Mashrak, Saran

Mukesh Kumar
MANAGER
J.N. PUBLIC SCHOOL
Affiliated to CBSE, Delhi
Aff. No.-331153, School No.-66937
Bangra Kali Sthan, Mashrak, Saran

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण।

बिहार शिक्षा परियोजना सारण,
नगरपालिका चौक, जिला परिषद
छपरा– 841301

Bihar Education Project Saran,
Municipal Chowk, Zila Parishad
Chapra- 841301

पत्रांक 1473/SS

दिनांक 24/6/2025

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा, सारण।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक,
J.N. PUBLIC SCHOOL,
प्रखण्ड – मशरक,
सारण।

विषय – बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अंतर्गत विद्यालय की अवधि आगे विस्तारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि J.N. PUBLIC SCHOOL, बंगरा काली स्थान, प्रखण्ड मशरक, सारण पिन 841410 को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अंतर्गत प्रस्वीकृति संख्या 219124820218311222195 के द्वारा दिनांक 03.08.2021 से 03.08.2024 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की गई थी। विदित हो कि आपका विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत् सभी मापदंड को पूर्णतः अनुपालन करता है, परन्तु ई–सम्बंद्धन पोर्टल पर नवीनीकरण के संबंध में कोई विकल्प प्राप्त नहीं है तथा इस संबंध में विभाग द्वारा कोई निदेश भी प्राप्त नही है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विभाग द्वारा ई–सम्बंद्धन पोर्टल पर नवीनीकरण का विकल्प प्राप्त होने के उपरान्त अवधि विस्तार हेतु अग्रेत्तर कार्यवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन
24/6/25
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा, सारण।

PRINCIPAL
J.N. PUBLIC SCHOOL
Affiliated to CBSE, Delhi
Aff. No.-331153, School No.-66937
Bangra Kali Sthan, Mashrak, Saran

Mukesh Kumar
MANAGER
J.N. PUBLIC SCHOOL
Affiliated to CBSE, Delhi
Aff. No.-331153, School No.-66937
Bangra Kali Sthan, Mashrak, Saran